प्रपत्र 2.2

कार्यालय जिलाधिकारी
बागेश्वर
संख्या 3642 दिनांक 30/8/2010

संख्या:– 5150 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010

4 2.9

प्रदीप सिंह रावत,
[illegible] सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

04/AJA

D
27-8-10

देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

[illegible] अनुभाग–2

राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

[illegible] विषयक मुख्य अभियन्त, गढ़वाल क्षेत्र / कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, [illegible] के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के [illegible] कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित 164 कार्यों के निर्माण पर [illegible] देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन [illegible] भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि [illegible] वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई **धनराशि रू0 2736.01 लाख** (रू0 सत्ताईस करोड़ [illegible] एक हजार मात्र) **पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11** में प्रति कार्य [illegible] अर्थात कुल **रू0 1.64 लाख (रू0 एक लाख चौसठ हजार मात्र)** के व्यय किये जाने की [illegible] राज्यपाल महोदय **निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान** करते हैं:–

[illegible] स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया [illegible] उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, [illegible] विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की [illegible] परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का [illegible] जायेगा।

[illegible] में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों [illegible] शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर [illegible] अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

[illegible] उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि [illegible] यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन [illegible] तैयार करते समय किया जायेगा।

[illegible] से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण [illegible] दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित [illegible]

[illegible] में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का [illegible] मद में व्यय कदापि न किया जाय।

[illegible] किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में [illegible] निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

[illegible] शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV 219(2006) दिनांक [illegible] मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन [illegible] द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा।

9 ...वी कत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0- 22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 359/XXVII/(2)/2010 दिनांक 16 अगस्त 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या 5/50 (1)/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी/अल्मोड़ा।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9- लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

RH. 1135/ASA/10 दि0 30-8-2010
EE लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

कृ0 आवश्यक कार्यवाही
करने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी बागेश्वर

शासनादेश सं0 5150 (1)/ III(2)/ 10- 19(प्रा0औ0)/ 2010 दिनांक 16 अगस्त, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0/मी0)	प्रथम चरण हेतु अनुमोदित (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग का [illegible] ([illegible] तक मिलान)	4.50	56.70	0.01
2	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] मिलान तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.50	56.70	0.01
3	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत [illegible] [illegible] को [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण।	5.50	69.30	0.01
4	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01
5	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत [illegible] मिलान के मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	12.60	0.01
6	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत देघाट- [illegible] होते हुए [illegible] बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50	31.50	0.01
7	जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बकरीगाड से [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	126.00	0.01
8	जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत राज्यमार्ग सं0 87 से [illegible] मोटर मार्ग का द्वाराहाट तक विस्तारीकरण।	6.00	75.60	0.01
9	जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत [illegible]-किरौली मोटर मार्ग [illegible] तक विस्तार।	3.50	44.10	0.01
10	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र [illegible] के अन्तर्गत [illegible] से बराकूना तक [illegible] किमी0 मोटर मार्ग [illegible] सेतु के नव निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन।	4.00 + 2 सेतु	53.20	0.01
11	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र [illegible] के अन्तर्गत [illegible] मल्ला भन्तोली से [illegible] तक [illegible] किमी0 मोटर मार्ग [illegible] सेतु के नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00 + 1 सेतु	39.90	0.01
12	जनपद अल्मोड़ा में [illegible] से [illegible] तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगणन।	3.00	37.80	0.01
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] होते हुये कुण्डाधार जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	75.66	0.01
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] होते हुये त्वाली-कालेश्वर मोटर मार्ग जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	50.40	0.01
15	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
16	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] से भापला मोटर मार्ग का निर्माण	2.50	31.50	0.01
17	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] से बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग से महादेव बस्ती तक तथा [illegible] के लिये सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.50 + 10 M	6.30	0.01
19	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] से [illegible] नव निर्माण नेत्र चिकित्सालय तक [illegible] का कार्य	2.00	0.42	0.01